उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-53/2016/वे0आ0-2-1061 /दस-01 (एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 29 अगस्त, 2016

संकल्प

विषयः- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिये संकल्प संख्या-38/2016/वे0आ0-2-876 /दस-01 (एम)/2016, दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा श्री जी0 पटनायक की अध्यक्षता में वेतन समिति का गठन किया गया है। वेतन समिति के गठन का निर्णय लिये जाते समय सदस्य के रूप में नामित श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग थे। अब श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हैं। अत: सदस्य के रूप में नामित श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग के स्थान पर श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को समिति के सदस्य के रूप में नामित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त शासकीय संकल्प दिनांक 11 अगस्त, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

---

1. यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।

2. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जाये।

3. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।

4. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भेजी जाये।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in